

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक डायरी एवं S.O.O. मुकाम वायतु

शिवानाराय बनाम पुराराम वर्ग

किस्म मुकदमा वा. का. 80 RTA/17 नं. 126/17 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11/09/17	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>दामोदर उमादे चौबरी</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/छाद/अपील धारा <u>80 RTA/17</u></p> <p>राजस्थान कर्मचारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>20/09/17</u> को पेश हो।</p>	
20/09/17	<p>वादी वकील व वादीगण संख्या <u>1</u> के सूचन उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या - <u>4</u> का नोटिस तामिल शुद्धा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या - <u>4</u> वाकजुड तामिल अनु उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या <u>1</u> से <u>3</u> की अर्द से वकील श्री पूनमसिंह चौबरी द्वारा बहालानामा मय ई इवाकिया जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण का वा. का. संश्लित में इस प्रकार है कि वादीगण सतुड इरनाराम के पत्र एवं प्रतिवादीगण संख्या <u>1</u> पुराराम की जायदादाला है जिनका संयुक्त एवं पत्रुड इरनाराम शुद्धा एवालेदारी का खेत यन्त सेंटलमेंट से मोजा हुडा की गली में खेत खंमरा नम्बर-119 रज. 111.09 बीघा किस्म बाराही खंमरा नम्बर-229 रज. 102.05 बीघा किस्म बाराही खंमरा</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO)</p> <p><u>वायतु</u></p> <p><u>मुकदमा</u></p> <p><u>वायतु</u></p>

सहायक कलेक्टर (SDO) वायतु

का कुल रकबा - 293.14 बीघा की आई हुई है/उक्त
 भूमि वक्त सेटलमेंट के समय वादीगण के दादा
 व परिवारी संख्या 1 प्रराम के पिल इतनाम के
 नाम से सेटलमेंट पर्या जारी हुआ बादशाहतशाही
 में परिवारी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व परिवारी संख्या
 2 से 3 का 1/2 हिस्सा होने से वादीगण प्रथेड का
 1/6 - 1/6 हिस्सा एवं परिवारी संख्या 1 का भी
 1/6 का हिस्सा मुजब हुजा उक्त चला आ रहा है
 वादीगण को अपने हिस्से की भूमि को उपजाऊ बनाने
 के लिए भूमि विकास जमी संस्थाओं से अथवा वकील
 लेशर विकास इतनाम चारने है लेकिन राजस्व रेकॉर्ड
 में वादीगण का नाम संकित नहीं होने से वादीगण
 प्रथेड का 1/6 - 1/6 हिस्सा व परिवारी संख्या 1 का
 1/6 हिस्सा एवं परिवारीगण संख्या 2 व 3 का 1/2
 हिस्सा ध्यातेदारी में घोषित हुवाने का निवेदन किया
 गया। हमने वादीगण व परिवारीगण के अधिकृत की
 वकालत सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न
 राजस्व रेकॉर्ड का अपलोडन करने के बाद तथा वादपत्र
 व इकवाली जवाबदावा के साथ पक्षगतन के पक्ष में उपादान
 के वापस पत्र से भी उक्त तथ्यों की पुष्टी होली है।

अतः वादीगण का पाद स्वीकार किया
 जाकर बादशाहत आराजी मोजा-हुडों की ठानी के स्थल
 खसरा नम्बर - 119 रकबा - 111.09 बीघा खसरा नम्बर -
 229 रकबा - 182.05 बीघा कुल रकबा 293.14 बीघा में
 वादीगण प्रथेड 1/6 - 1/6 का हिस्सा तथा परिवारी संख्या
 1 का 1/6 का हिस्सा ध्यातेदारी में घोषित किया जाला
 है। तथ्यीलगत वाधु उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में
 इन्ड्राज हुते। डिग्री पर्या जारी है। पत्रावली प्रसल
 सुमार से दर्ज नम्बर से उस ही दाखिल दफ्तल हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
 बायतु

अंतिम डिकरी व मुकदमे इत्तदाई

ज अदालत मुद्राग्रह रुबरू एवं S.O.O. मुकाम वामन
 श्री हेलागम चौधरी R.M.S. किरानागम बनाम पूराराम कोरा
 इजलास दावा बाबत रा. का. 88 RTAET
 मुकदमा नं. 126/17 सन्. 2017

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रुबरू नशागालग
 व हाजरी श्री रामोदर कुमार चौधरी एडो मिनजानिब मुदई व
 श्री पूनमसिंह चौधरी एडो मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी
 दी जाती है कि वारीगण 88 काद स्कीडार विभा जाडर विवाडित आजाजी
 मीजा- हुडों ही ठागी के चेत खसरा नम्बर- 119 रकबा- 111.09
 बीघा खसरा नम्बर- 229 रकबा- 182.05 बीघा कुल रकबा-
 293.14 बीघा भूमि में फारीगण उत्तोरु 88 1/6-1/6 का हिस्सा
 तथा प्रतिगरी लेख्या 1 का 1/6 का हिस्सा ही भूमि का प्यातेडा
 डोषित विभा जात ही तदसीलगत वामन निगर्ष अनुला
 राजक रेडर के इगलडराग डे। खर्चा का पछडातन शपना
 शपना वहन डे।

कौम मुबलिंग बाबत
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से
 तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।



बसन्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 09 2017 को जारी की गई।

दस्तखत
 साहायक कलक्टर (SDO)
 ओहदा बाबत

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
बाबत इजराल हुकमनामा			बाबत इजराज हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजाना		

नोट इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

वादीगण


वनाम

1. विवांगाराम पुत्र पूराराम
2. गुणोव्जाराम पुत्र पूराराम
जाति-जाट निवासी-हुडो शीगणी
तहसील-वायतु जिला-बायतु



प्रतिवादीगण

1. पूराराम पुत्र उदराराम
2. दनुमानराम पुत्र सोनाराम
3. चुनी देवी पत्नी सोनाराम
जाति-जाट निवासी-हुडो शीगणी
तहसील-वायतु जिला-बायतु
4. शाप्या प्रवंशु सावी.ग्रह वी.उ
शाप्या उपाय


सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु